

प्रेषक:-

सदस्य सचिव,
जिला मोनेटरिंग कमेटी
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बीकानेर-राजस्थान

प्रेषित:-

- 1 श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बीकानेर
- 2 श्रीमान् भ्रष्टाचार निवारण मामलात, बीकानेर।
- 3 श्रीमान् श्रम न्यायालय, बीकानेर।
- 4 श्रीमान् विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो, बीकानेर।
- 5 श्रीमान् मोटरयान दुर्घटना दावाधिकरण, बीकानेर
- 6 श्रीमान् पारिवारिक न्यायालय सं.1/सं.2, सं.3, बीकानेर
- 7 श्रीमान् अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1/2/3/4/5/6/7, बीकानेर, कैम्प कोर्ट श्रीडूंगरगढ
- 8 श्रीमान् अपर सेशन न्यायाधीश(महिला उत्पीडन प्रकरण) बीकानेर
- 9 श्रीमान् विशिष्ट न्यायाधीश अनु.जाति/अनु.जनजाति/(अ.नि.प्र.) बीकानेर
- 10 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बीकानेर
- 11 अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1,2,3,4, बीकानेर
- 12 अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पीसीपीएनडीटी कैसेज, बीकानेर
- 13 अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे) बीकानेर
- 14 अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (किराया अधिकरण), बीकानेर
- 15 प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय, बोर्ड, बीकानेर
- 16 अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नोखा/लूणकरणसर/श्रीडूंगरगढ
- 17 न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीकानेर
- 18 न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1,2,3 बीकानेर
- 19 अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 3 बीकानेर
- 20 विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट कैसेज)संख्या 1,2,3 बीकानेर
- 21 न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, बीकानेर
- 22 न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोलायत
- 23 न्यायिक मजिस्ट्रेट, खाजूवाला
- 24 न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, कोलायत
- 25 न्यायिक मजिस्ट्रेट, छतरगढ
- 26 सिस्टम ऑफिसर ई कोर्ट पोजेक्ट, सर्वर बेसमेंट, न्यायालय की बेबसाईड पर अपलोड करने हेतु प्रति।

विषय : मोनीटरिंग कमेटी से संबंधित सूचना के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि जिला मोनीटरिंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया जाना है, जिसमें निम्नलिखित बिन्दुओं पर भी विचार किया जाना है। अतः आप निम्न बिन्दुओं पर अपनी सूचना/विचार पांच पांच प्रतियों में दिनांक 20.05.2021 तक भिजवाने का श्रम करें।

- 1- मजिस्ट्रेट, न्यायालयों में दिनांक 30.03.2021 को लम्बित प्रथम सूचना रिपोर्ट की वर्षवार संख्या की सूचना।
- 2- अधीनस्थ न्यायालयों में दिनांक 30.03.2021 तक विचाराधीन पुराने मुकदमों के संबंध में वर्षवार एवं वर्गवार सूचना।
- 3- न्यायालय में दिनांक 30.03.2021 तक लम्बित अन्तिम प्रतिवेदन की वर्षवार संख्या की सूचना।
- 4-दिनांक 30.03.2021 तक निस्तारण योग्य मालखाना की सूचना।
- 5- धारा 173(8)दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अनुसंधान पैन्डिंग रखे गये प्रकरणों की वर्षवार संख्या की सूचना।
- 6- न्यायालय से जारी शुदा स्थाई गिरफ्तारी वारण्टों की सूचना।

सुझाव

- 1-न्यायालय में विचाराधीन पाँच साल व दस साल से अधिक पुराने मुकदमों के शीघ्र निस्तारण में आ रही कठिनाई एवं उन्हें दूर करने हेतु सुझाव।
- 2-प्रक्रिया संबंधी विलम्ब में कमी करने व न्यायालय की कार्य क्षमता बढ़ाने हेतु सुझाव।
- 3-मुकदमों के अनुसंधान में होने वाले विलम्ब के कारण व अपेक्षित सुधार हेतु सुझाव।
- 4-न्यायालय के सम्मन, नोटिस, वारंट, स्थाई गिरफ्तारी वारंट आदि की तामील एवं निष्पादन समय पर करवाने में आ रही कठिनाई व उनका निराकरण हेतु सुझाव।
- 5-महिलाओं के भरण-पोषण, घरेलू हिंसा मामले में दिए गए आदेशों के निष्पादन में आ रही कठिनाईयाँ एवं उन्हें दूर करने हेतु सुझाव।
- 6-पुराने प्रकरणों में साक्ष्य के दौरान संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रकरण का वजह सबूत न्यायालय में पेश नहीं करने पर

साक्ष्य के दौरान आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के सुझाव।

7- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषयों पर चर्चा।

भवदीय

(महावीर महावर)

सदस्य सचिव, मोनेटरिंग समिति,

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

बीकानेर

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

बीकानेर (राज्य)